

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2020

- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना कै ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय निषाद पुत्र राजेन्द्र निषाद नि0 मल्लाहन टोला गुप्तार घाट थाना कै ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कै ट में मु0अ0सं0 442/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी श्री सुरेश पा डेय प्रभारी निरीक्षक को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नवीन पा डेय पुत्र शैलेन्द्र पा डेय नि0 कोटिला मंदिर दू बाजार थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 660/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राधेश्याम पुत्र बाबादीन नि0 सौरी थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 412/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी श्री राजकुमार पा डेय पुत्र राम प्रकाश पा डेय नि0 मलावन थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या अज्ञात का चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई की मो0सा0 में टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 680/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री हरेकृष्ण कुमार थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जय कुमार मिश्रा पुत्र रामेश्वर मिश्रा नि0 चौधरीपुर थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 250/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश कुमार पुत्र राम अचल नि0 मरुई गनेशपुर थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 251/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री भीमसेन यादव थाना ख डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश पुत्र बदलू रैदास लि0 अजरौली थाना ख डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना ख डासा में मु0अ0सं0 373/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम नरेश रावत थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रवीण कुमार पुत्र रामफेर नि0 सड़वा थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 396/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र सहाई राम नि0 गनौली थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या अज्ञात का चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई सतेन्द्र राम को टक्कर मार देना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 180/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सहदेव पासी पुत्र राजाराम पासी नि0 मखदूमपुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 181/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्ते पुत्र रामदेव नि0 नवीपुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 182/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।